

अनुसूची II

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रोफार्मा

(मुख्य महाप्रबंधक, एफएमडी, आरबीआई, मुंबई को सीपी जारी करने की प्रक्रिया पूरा होने के 3 दिनों के भीतर जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में:

मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय,
फोर्ट मुंबई - 400 001.

के माध्यम से (आईपीए का नाम)

प्रिय महोदय

वाणिज्यिक पत्र जारी करना

रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2003 को जारी वाणिज्यिक पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किए हैं

- i) जारीकर्ता का नाम :
- ii) पंजीकृत कार्यालय और पता :
- iii) व्यावसायिक गतिविधि :
- iv) स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसके साथ जारीकर्ता के शेयर सूचीबद्ध हैं (यदि लागू हो) :

- v) नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार मूर्त निवल मालियत :
- vi) कुल कार्यशील पूंजी सीमा :
- vii) बकाया बैंक उधार :
- viii) (क) जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र का ब्यौरा (अंकित मूल्य) जारी करने की तारीख परिपक्वता की तारीख राशि दर
 i)
 ii)
- (ख) वर्तमान इश्यू सहित सीपी की बकाया राशि (अंकित मूल्य)
- ix) क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (i) (क्रिसिल) या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी (ii) अन्य एजेंसी से प्राप्त रेटिंग (iii)
- x) क्या सीपी इश्यू के संबंध में स्टैंड-बाय सुविधा प्रदान की गई है?
- xi) यदि हाँ
 i) प्रदान की गई स्टैंड-बाय सुविधा की राशि : करोड़ रुपये में
 ii) द्वारा प्रदान किया गया (बैंक / एफआई का नाम)
- xii) क्या सीपी इश्यू के संबंध में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की गई है?
- xiii) यदि हाँ
 i) गारंटी की राशि : करोड़ रुपये में

- ii) द्वारा प्रदान किया गया
(गारंटर का नाम)

- iii) गारंटर की क्रेडिट रेटिंग

के लिए और उनकी ओर से

(जारीकर्ता का नाम)